फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी मुकाम–जहाजपुर (भीलवाड़ा)

रणजीत पिता सूरजमल मीणा निवासी–रावतखेड़ा

बनाम

हीरालाल पिता सूरजमल मीणा वगैरा

किस्म मुकदमा प्रा0 पत्र 111, 128 एल.आर.ए. मुकदमा नं. 618/2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुये
14/6/.23	प्रार्थना पत्र सिंगे से बाद जाँच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम रावतखेड़ा प.ह. रावतखेड़ा तहसील–जहाजपुर में स्थित **आ.न. 7/15 रकबा 0.8417, आराजी संख्या 7/16 रकबा 0.4856 कुल किता 2 रकबा 0.4856 हैक्टेयर** भूमि स्थित है। अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आराजी के पड़ोसी है। अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढ़ी करवाये जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान किये जावें। प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है। मैने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबन्दी सम्वत 2076 से 2079 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगढ़ी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायालय पत्थरगढ़ी किया जाना उचित समझता है। अतः प्रार्थना पत्र पत्र 111/128 रा.ले. एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा भूमि भूमि ग्राम रावतखेड़ा प.ह. रावतखेड़ा तहसील–जहाजपुर में स्थित **आ.न. 7/15 रकबा 0.8417, आराजी संख्या 7/16 रकबा 0.4856 कुल किता 2 रकबा 0.4856 हैक्टेयर** की उभय पक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी करने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक लुहारीकलां को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 1500/–रूपये तय किये जाते है। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100/–रूपये राजकोष में जमा करावें। पत्थरगढ़ी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावें। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावें। पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करे। आदेश आज दिनांक 14.06.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।	

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

Scanned with CamScanner

राजस्थान–सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला–भीलवाड़ा

क्रमांक / रीडर / 2023 / 618 / 2023 दिनांक :– 15.06.2023

निमित्त

तहसीलदार जहाजपुर

विषय :– प्र.सं. 618 /23 अनवान रणजीत पिता सूरजमल मीणा निवासी–रावतखेड़ा, तहसील–जहाजपुर, जिला–भीलवाड़ा बनाम हीरालाल पिता सूरजमल मीणा, कैलाश पिता हेमा मीणा, रामगोपाल पिता हेमा मीणा, फूलसिंह पिता हेमा मीणा निवासी–रावतखेड़ा, तहसील–जहाजपुर, जिला–भीलवाड़ा की पत्थरगढ़ी की पालना करने बाबत्।

– – – – – –

उपरोक्त विषयांकित उनवान के प्रकरण में ग्राम रावतखेड़ा प.ह. रावतखेड़ा तहसील–जहाजपुर में स्थित आ.न. 7 / 15 रकबा 0.8417, आराजी संख्या 7 / 16 रकबा 0.4856 कुल किता 2 रकबा 0.4856 हैक्टेयर भूमि की उभय पक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी करने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक लुहारीकलां को कमीश्नर नियुक्ति किया जाता है। कमीश्नर फीस 1500रू. तय किये जाते है। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रूपये राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढ़ी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावें। पालना रिपोर्ट 15 योम पेश करें।

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

Scanned with CamScanner